रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2013/कार्तिक 7, 1935

No. 282] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2013/ KARTIKA 7, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 21 अक्तूबर , 2013

बीमा सलाहकार समिति (बैठक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/24/82/2013.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), की धारा 25 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) और उप-धारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद सीमा सलाहकार समिति (बैठक) विनियम, 2000 में संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

1. (1) ये विनियम बीमा सलाहकार समिति (बैठक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएँगे ।

2. ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बीमा सलाहकार समिति (बैठक)विनियम, 2000 में,-

वर्तमान विनियम 3(2) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: —

"3(2) सलाहकार समिति अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत विनियम बनाने से संबंधित विषयों पर तथा अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निर्धारित किये जाने वाले अन्य विषयों पर भी प्राधिकरण को परामर्श देने के लिए प्राय: आवश्यक समझे जाने के तौर पर, परंतु एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।"

टी.एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/13/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 21st October, 2013

Insurance Advisory Committee (Meetings) (Second Amendment) Regulations, 2013

F. No. IRDA/Reg./24/82/2013.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) and sub- Section (1) of Section 26, read with Section 25 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Advisory Committee (Meetings) Regulation, 2000, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Insurance Adivsory committee (Meetings) (Second Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Advisory Committee (Meetings) Regulations , 2000,-

For the existing Regulation 3 (2), the following shall be substituted:—

"3 (2) The Advisory Committee may meet as often as may be considered necessary but not less than two times in a calendar year, for advising the Authority on matters relating to the making of the regulations under section 26 of the Act and also on such other matters as may be prescribed under sub-section (5) of section 25 of the Act. "

T. S. VIJAYAN , Chairman

[ADVT. III/4/161/13/Exty.]

4570 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.